रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 1993/श्रावण 27, 1915
No. 161] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 1993/SRAVANA 27, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1993

सार्वजनिक सूचना सं. 152/(पीएन)/92–97

विषय : — राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य निगमों को निर्यात सदन का स्तर प्रदान करना ।

फा.सं. 6/57/93—आई पी सी-2.—निर्यात-आयात नीति 1992–97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1993) के पैरा 140-क की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा नामांकित राज्य निगमों को केवल निर्यात सदन के रूप में भी मान्यता दी जा सकती है भले ही वे नीति के पैरा 138, 139 और 140 के साथ पठित पैरा 137 में निर्धारित किये गये मान्यता के

मानदण्डों को इस संबंध में अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार पूरा नहीं करते हैं। निर्यात सदन का स्तर प्रदान करने के लिए राज्य निगमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी :—

(क) पात्र राज्य निगम वे होंगे जो नीति के पैरा 138, 139 और 140 के साथ पठित पैरा 137 में निर्धारित सामान्य मानदण्डों के अनुसार निर्यात सदन या व्यापार सदन या स्टार व्यापार सदन का स्तर प्राप्त करने के लिए हकदार न हों। ऐसे निगम की स्थापना निर्यात संवर्द्धन के उद्देश्य से राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा की जाती है और संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र द्वारा निर्यात सदन का स्तर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से नामांकित की जाती है यदि इसी प्रकार का कोई राज्य निगम निर्यात-आयात नीति, 1992—97 के अध्याय-12 में निर्धारित किये गये मानदण्डों के अनुसार निर्यात सदन/व्यापार सदन/निर्यात व्यापार सदन के रूप में पहले से ही मान्यता प्राप्त हो तो नीति के पैरा 140-क की शर्तानुसार उसे नया स्तर प्रदान नहीं किया जायेगा;

(ख) विचाराधीन स्तर केवल "निर्यात सदन" तक ही प्रतिबंधित होगा।

(ग) सामान्य पात्रता मानदण्डों को प्राप्त किये बिना "निर्यात सदन" का स्तर प्रदान करने की उपरोक्त सुविधा केवल एक बार ही दी जा सकेगी; और

(घ) निर्यात आयात-नीति, 1992–97 के पैरा 141 और 142 के प्रावधान लागू होंगे।

2. उपर्युक्तानुसार निर्यात सदन का स्तर प्राप्त करने के इच्छुक पात्र राज्य निगम प्रक्रिया पुस्तक 1992—97 (संशोधित संस्करण, 1993) के अध्याय 12 में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके साथ उपर्युक्त पैरा 1(क) में किये गये उल्लेख के अनुसार उन्हें अपनी-अपनी राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

अजीत कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 18th August, 1993

PUBLIC NOTICE NO. 152(PN)|92—97

SUBJECT : Grant of Export House status to State Corporations nominated by State Governments|Union Territories.

File No. 6|57|93-IPC-II.—Attention is invited to paragraph 140A of the Export & Import Policy 1992-97 (Revised Edition · March 1993), wherein it has been laid down that State Corporations nominated by the respective State Governments|Union Territories may be recognised as an Export House only, even though the criterion for recognition, as laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139 and 140 of the policy, is not fulfilled in accordance with the procedure to be notified in this behalf. The following procedure shall apply for considering the application received from State Corporations for the grant of Export House status :—

(a) The State Corporations eligible shall be the one which are not entitled for Export House or Trading House or Star Trading House status as per the normal criterion laid down in paragraph 137 read with paragraphs 138, 139 and 140 of the policy. Such Corporation is established by the State Government|Union Territory for the purpose of export promotion and is specifically nominated for grant of Export House status by the respective State Govt.|Union Territory. If a similar State Corporation is already recognised as an export House or Trading House or Star Trading House in accordance with the existing criterion laid down in Chapter XII of the Export & Import Policy 1992—97, then a fresh status shall not be granted in terms of paragraph 140A of the policy ;

(b) The status to be considered shall be restricted to "Export House" only ;

(c) The above said facility to grant "Export House" status without attaining the normal eligibility criteria shall be only a one time dispensation ; and

(d) The provision of paragraph 141 & 142 of the Export & Import Policy 1992—97 shall be applicable.

2. The eligible State Corporations desirous of availing the status of Export House as mentioned above may submit their applications in accordance with the procedure laid down in Chapter XII of the Hand Book of Procedures 1992—97 (Revised Edition : 1993) supported by a certificate from the Government of respective State|Union Territory as mentioned in para 1(a) above.

3. This issues in public interest.

AJIT KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993